



2026:AHC:127828

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20027 वर्ष 2026

नरेश कुमार उर्फ फौजी

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता :पुष्पेन्द्र सिंह

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को वाद अपराध संख्या 900 वर्ष 2025, धारा 305(ई), 317(2), 111(1), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना सिविल लाइंस, जनपद मुरादाबाद में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। दिनांक 25.11.2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अंकित नहीं है। उसे पुलिस द्वारा दिनांक 09.12.2025 को पुलिस दल पर फायरिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा दिनांक 09.12.2025 को ही वाद अपराध संख्या 936 वर्ष 2025 के रूप में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 27, 25 एवं 3 आयुध अधिनियम तथा धारा 3(5) एवं 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दर्ज की गई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त हिफैजुर्रहमान उर्फ हसनान, तंजीम, जुबैर खान तथा अब्दुल मतीन खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 25.03.2026, 25.02.2026, 19.02.2026 एवं 27.02.2026 को पारित आदेशों के माध्यम से आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7137 वर्ष 2026, 6937 वर्ष 2026, 6129 वर्ष 2026 एवं 7641 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना पत्र के अनुच्छेद संख्या 19 में दिया गया है तथा वह दिनांक 10.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त हिफैजुर्रहमान उर्फ हसनान, तंजीम, जुबैर खान तथा अब्दुल मतीन खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थिति वाले सह-अभियुक्त हिफैजुर्रहमान उर्फ हसनान, तंजीम, जुबैर खान तथा अब्दुल मतीन खान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही उस पर स्थगन लगाया गया है, तथा यह भी कि आवेदक दिनांक 10.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक नरेश कुमार उर्फ फौजी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक इस आशय का एक लिखित प्रतिज्ञान प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक उस उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—1. वाद के प्रारंभ के समय 2. आरोप तय किए जाने के समय 3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय । यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।